न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 04/2021
दायर दिनांकः 19.01.2021
निर्णय दिनांक 15.04.2025

—: अनवान :—

श्री खेमा पिता नाथू जी बलाई, उम्र 60 वर्ष निवासी देवीयो की मेरडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— अपीलान्ट

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमंद मुकाम राजसमंद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
अपील विरूद्ध निर्णय श्रीमान् तहसीलदार साहब, राजसमंद प्रकरण सं. 1394/2024 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 23—09—2019 बअनवान सरकार बनाम खेमा बलाई
उपस्थितः—

1— श्री रजनीकान्त सनाढ्य, अधिवक्ता अपीलान्ट
2— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध तहसीलदार राजसमन्द के प्रकरण संख्या 1394/2024, नाजायज कब्जा, निर्णय दिनांक 23.09.2019, बअनवान सरकार बनाम खेमा बलाई अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद के द्वारा दिनांक 23—09—2019 को पारित निर्णय एवं आदेश न्याय, विधि एवं तथ्यो के सर्वथा विपरित होकर प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त है। अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जल्दबाजी में साक्ष्य का अवसर दिये बगेर सरसरी तौर पर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय एवं आदेश पारित कर विधि की मान्य परम्पराओ का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी के द्वारा विवादित भूमि जो गाँव देवीयो की मेरडा तहसील राजसमंद में स्थित होकर उसके आराजी नं. 644 रकबा 6 बीघा भूमि पर लगभग 40 वर्षों से कब्जा लगातार चला आ रहा है तथा अपीलार्थी ने उक्त आराजी को कृषि योग्य बनाने में हजारो रूपये व्यय किया है तथा उसके चारो ओर बाउण्ड्री वॉल बना सुरक्षित किया है। जिसके दस्तावेजी सबूत पेश करने का भी मौका अपीलार्थी को

नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो की अवहेलना की है। अपीलार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन कास्तकार है तथा वह इस भूमि से अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर रहा है तथा उसके पास इस जमीन के अलावा कोई अन्य जमीन नहीं है। इसी विवादित जमीन से वह गुजर बसर कर रहा है। जिसके छीन जाने से वह भूखो मर जावेगा। अपीलार्थी को विवादित प्रकरण में अपनी ओर से सक्षम साक्ष्य पेश करने का व अपना पक्ष रखने का विधि मान्य अवसर भी नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भारी भूल की है। अपीलार्थी की अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण खारिज करने व उसे बेदखल करने संबंधी तथा निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने संबंधी तथ्य की जानकारी भी नहीं दी गई। इस कारण अपीलार्थी अन्दर मयाद अपील भी पेश नहीं कर सका है। परन्तु न्याय की मंशा के अनुरूप वह अपील के साथ अलग से अपील को मयाद में शुमार करने की गुजारिश हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद के द्वारा प्रकरण सं. 1394 सन् 2019 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 23–09–2019 को खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद के द्वारा दिनांक 23–09–2019 को पारित निर्णय एवं आदेश न्याय, विधि एवं तथ्यो के सर्वथा विपरित होकर प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त है। अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जल्दबाजी में साक्ष्य का अवसर दिये बगेर सरसरी तौर पर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एक तरफा निर्णय एवं आदेश पारित कर विधि की मान्य परम्पराओ का उल्लंघन किया है। अपीलार्थी के द्वारा विवादित भूमि जो गाँव देवीयो की मेरडा तहसील राजसमंद में स्थित होकर उसके आराजी नं. 644 रकबा 6 बीघा भूमि पर लगभग 40 वर्षों से कब्जा लगातार चला आ रहा है तथा अपीलार्थी ने उक्त आराजी को कृषि योग्य बनाने में हजारो रूपये व्यय किया है तथा उसके चारो ओर बाउण्ड्री वॉल बना सुरक्षित किया है। जिसके दस्तावेजी सबूत पेश करने का भी मौका अपीलार्थी को नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो की अवहेलना की है। अपीलार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन

कास्तकार है तथा वह इस भूमि से अपने परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन कर रहा है तथा उसके पास इस जमीन के अलावा कोई अन्य जमीन नहीं है। इसी विवादित जमीन से वह गुजर बसर कर रहा है। जिसके छीन जाने से वह भूखो मर जावेगा। अपीलार्थी को विवादित प्रकरण में अपनी ओर से सक्षम साक्ष्य पेश करने का व अपना पक्ष रखने का विधि मान्य अवसर भी नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भारी भूल की है। अतः प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद के द्वारा प्रकरण सं. 1394 सन् 2019 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 23–09–2019 को खारिज फरमाया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का पड़ासली ने अपीलार्थी खेमा पिता नाथु बलाई के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि राजस्व ग्राम देवियों की मेरड़ा की सिवाय चक भूमि की आराजी संख्या 644 रकबा 2.2200 हैक्टेयर किस्म शमशान में से 6.00 बीघा भूमि पर खेमा पिता नाथु बलाई ने अनाधिकृत कब्जा किया है। जिससे इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। पटवारी हल्का पड़ासली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2019 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी खेमा पिता नाथु बलाई को दिनांक 23.09.2019 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। परन्तु अतिक्रमी को जारी नोटिस बाद तामील के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होकर अतिक्रमी का पुत्र उपस्थित हुआ। जिसके अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि अतिक्रमी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तामील करवाई गई व जिसकी पालना में अतिक्रमी का पुत्र न्यायालय में उपस्थित हुआ । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया की पालना करते हुए प्रकरण निर्णित किया गया है। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा होना स्वीकार किया। जिससे अपीलार्थी के अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को नोटिस की समुचित तामील करवाई जाकर व सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में न्यायिक प्रक्रिया की समुचित पालना किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2019 को यथावत रखा जाता है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार राजसमन्द को लौटायी जावे।

15/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद